संख्याः–815/XXVII(1)/2015

प्रेषक,

एल.एन. पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, उत्तराखण्ड,
(संलग्न सूची के अनुसार)।

वित्त अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांकः 21 जुलाई, 2015**

विषयः–तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2015–16 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त का तदर्थ आधार पर अन्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश की 26 नगर पंचायतों को सलंग्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु तदर्थ आधार पर देय धनराशि में से कॉलम–5 में इंगित धनराशि की कटौती पेंशन निधि हेतु करते हुये कॉलम–6 में निकाय के सम्मुख इंगित कुल धनराशि **₹9,12,29,000.00 (₹ नौ करोड़ बारह लाख उन्नतीस हजार मात्र)** अंतरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अंतरित की जा रही हैः–

1. शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2015–16 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त तदर्थ आधार पर संक्रमित की जा रही है।
2. अंतरित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–388/XXVII/(1)/2012, दिनांक 23 जुलाई, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
3. जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आंकड़ों की प्रमाणिकता की पुष्टि होने पर तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित फार्मूलें के आधार पर निकायों के अंश की पुनः गणना की जायेगी।
4. तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त जिन निकायों का उच्चीकरण हुआ है, उनके सम्बन्ध में आयोग द्वारा पूर्व निर्धारित अंश के आधार पर ही धनराशि संक्रमित की जायेगी।
5. तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन, प्रस्तर–8.20 पर सम्पत्ति कर के सम्बन्ध में समस्त निकायों की संकलित सूचना प्राप्त होने के उपरान्त ही निकायों को बढ़ी हुई धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
6. नगर विकास विभाग अंतरित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगे। कोषागार से आहरित धनराशि की बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

7. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

8. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

9. सम्बन्धित निकाय की अलोटमेन्ट आईडी संलग्न है।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–193–नगर पंचायतें/ नोटिफाइड एरिया/ कमेटी आदि–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः— यथोपरि।

भवदीय,

(एल.एन. पन्त)
अपर सचिव,वित्त।

संख्याः— 845 (1)/XXVII(1)/2015, तद्दिनांकित। 21/7/15

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— प्रमुख सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3— मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
4— सम्बन्धित जिलाधिकारी., उत्तराखण्ड।
5— निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, 43/6, माता मन्दिर मार्ग, धर्मपुर, देहरादून।
6— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7— निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8— निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
9— सम्बन्धित मुख्य/ वरिष्ठ/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10— एन0 आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(एल.एन. पन्त)
अपर सचिव,वित्त।